अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2020 (RCMS 2020/00007) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 986480) बनाम अतिरक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और लिखित बहस पेश की, जो शामिल मिसल की गई।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. आपका पत्रांक 1085 दिनांक 11.07.2019 पर की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. आपके पत्रांक 651 दिनांक 05.09.2019 पर अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. आपके पत्रांक 814 दिनांक 29.05.2019 पर कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आपको प्रेषित पत्रांक दिनांक 09.09.2019 जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है। उस पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2019 की पालना में श्री सुरेन्द्र सिंह कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पालना करने पर धारा 188 आई पी सी के अन्तर्गत कोषाधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने बाबत सूचना।
6. एफ.आई.आर. दर्ज न करवाने के आधार की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 97 दिनांक 09.09.2019 के साथ वर्ष 2000—2001 में स्टाम्प वेण्डरों के जमा रजिस्टर के अनुसार स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने बाबत सूचना।
8. वर्ष 2000—2001 का रजिस्टर गुम होने पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धित नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की व धारा की।
9. श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगांगनगर के आदेश दिनांक 19.03.19 की पालना में सम्बन्धित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के सम्बन्ध में प्रत्येक दिवस जो जो कार्यवाही जिस जिस कमर्कार व अधिकारी द्वारा की गई, उस कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति। कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना। दिनांक प्रत्येक को जो जो कार्यवाही की

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गई, उसकी सूचना। प्रत्येक अधिकारी के नाम व पद जिसके द्वारा कार्यवाही की गई।

10. जिस अधिनियम की जिस धारा में कार्यवाही की गई उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2019/1861 दिनांक 13.11.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासगिंक पत्र में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.10.2019 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 10 तक सूचना चाही गयी है। अतः इस हेतु सूचना देने से पूर्व निर्धारित 2/–प्रति पृष्ठ शुल्क से कुल पृष्ठ 10 के हिसाब से 20/– शुल्क आप इस कार्यालय में कार्यदिवस में जमा करवाये जिससे आपको वांछित सूचना भिजवाई जा सके।

-sd-
प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 13.11.2019 के पत्र से निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में सूचित किया गया है कि वह अपनी 10 बिन्दुओं की सूचनाओं से सम्बन्धित निर्धारित 20 रूपये शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त राशि अभी तक अपीलार्थी द्वारा राजकोष में जमा नही करवाई गई है। इसलिए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रार्थी वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी से उक्त निर्धारित फीस जमा करवाकर वांछित देय सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर